

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 1981/कार्तिक 12, 1903
No. 42] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 1981/KARTIKA 12, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1981

आ. अ. 79(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)
की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन
आयोग यह निवेश देता है कि उसकी तारीख 18 अक्टूबर, 1979 की अधिसूचना
सं 434/महा./79 (2) में निम्नलिखित संशोधन और किए जायेंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में, मद “15-नवदुवार
(अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र” के सामने विद्यमान प्रविष्टियां (2) और
(4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी :—

(2) “जिला पुनर्वास अधिकारी धुले” और

(4) उप-खण्ड अधिकारी, धुले डिविजन, धुले'

[सं. 434/महा./80(2)]

आदेश सं,

धर्म वीर, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 1981

O.N. 79(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following further amendments shall be made in its notification No. 434/MT/79(2), dated 18 October, 1979, namely :—

In column 2 of the Table appended to the said notification, against item '15-Nandurbar (ST) parliamentary constituency', for the existing entries at (2) and (4), the following shall be substituted.—

(2) 'District Resettlement Officer, Dhule' and

(4) 'Sub-Divisional Officer, Dhule Division, Dhule'.

[No. 434/MT/80(2)]

By Order,

DHARAM VIR, Under Secy.
Election Commission of India.